Unlawful Acts Against
Aviation

steps are, therefore, immediately called for:-

- (a) The producers should not be allowed to cut down production;
- (b) They must reduce their prices to pre-July 1982 level forthwith;
- (c) Import duty should be reduced to 20 percent so that the producers have to reduce their price to less than Rs. 1,200 to 1,300 per tonne. Their resistance to price reduction is stiffening by raising the false solgan of glut and dumping by Bulgaria etc.

12.52 hrs.

ANTI-HIJACKING BILL—CONTD. SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST SAFETY OF CIVIL AVIATION BILL—CONTD.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will not take up further consideration of the Anti-Hijacking Bill and the Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Bill moved by Shri Bhagwat Jha Azad. Out of two hours alloted, one hour and five minutes were taken yesterday and 55 minutes remain. We will complete these two Bills and then adjourn for lungh.

DR SUBRAMANIAM SWAMY
(Bombay North Fast): Sir, this Bill has come in order to give legal shape to a convention, which was passed more than half a decade ago, which it was not thought fit all these years to bring in the form of an Act. Therefore, the question arise—it is a matter of curiosity—why this Anti-Hijacking Bill come at this stage.

As far as I can understand it, the reason is that the Government has run into difficulties with its own hijackers. Earlier on, the problem was to take a political stand on hijackers of other countries. For example, if the Palestenian Libera-

tion Organitation members hijacked a plane to India, and some other countries demanded them, then India would have felt embarramed, because we support the Similarly, cause. if Bhutto had hijacked plane from Pakistan and brought it to India, then we would have to return him to Pakistan which these people would have found very embarrassing. But these Khalistan people have brought Government more in line with the international thinking on the subject because when the Khalistan people hijacked this plane and took it to Lahore and they were arrested and I must say Pakistan should be congratulated on helping the Indian passengers to be freed without violence and ment home mafely on each time, but they found that after they were arrested by the Pakistan authorities they were demanded back. The Pakintan Government simply asked this question that if you take them back, under what law are you going to try them and, econdly, if you take them back and we give them back to you and tomorrow Pakistanis hijack a plane into India, will you reciprocate and return those people to us? This was the question that was asked from this Government and this Government had no answer because they did not have an Act. Now the Act has come and Article 7 of that Act specifiles more elearly that we wil reciprocate. So I welcome this Bill because it is in line and keeping with the tradition, the international tradition, that has been established that hijacking is bad whether Indians do it, whether Khalistan people do it, whether the Palestinian Liberation Organiation does it, anybody does it we do not consider something called a terrorist hijacking or political hijacking or whatever. However, there is a moral question which this Minister must answer. There was a hijacking within the country from Lucknow to Varansi by two people called Devendra Nath Pande and Bhola Nath Pande. So, we also arrested them in Varansi and sent them to jail and filed a case against them and since then I find that they are not in jail. So, I investigated

the state of the same of

Aviation [Dr. Subramaniam Swamy]

Unlawful Acts against-

and tried to find out where they are, and I found they were in Congress (I) and they have become MLA. Now I had asked this question of the then Home Minister Giani Zail Singh that how you condemn the hijacking of the Khalistan people when you have rewarded the hijackers Bhola Nath Pande Nath Pande and made and Devendra them MLA. So, he said there was a difference in the case of Bhola Nath Pande Devendra Nath Pande. They did hijacking within the country and as far as the Khalistan people are concerned, they went outside the country, Now, I would like the Minister to clarify whether hijacking is hijacking within the country or outside the country and if you do it within the country you will be rewarded in this way or not. I think this in a moral slur on the ruling party which it has to live down. So, I would conclude with the comment that the anti-hijacking measure in our airports are very primitive. think it is necessary.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER. The State Government has withdrawn the cales.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Yes I know that they have withdrawn the cases and made them MLAs. So, I think the equipment should be modernised because the airport is a big headache-going and opening your bag, going through the referring. It is better to have these cameras, these X-Ray machines fitted on the major airports. Today Delhi has as an experimental measure but I think it should be done on all the airports and I think little expenditure on that is no harm. Secondly, I find it very odd that Members of Parliament are searched in a way that common criminals are searched. I am not searched because most policemen recognise me as the man who escaped during the Emergency. So, they say if you want to escape you will do it anyway.

MR. DEPUTY SPEAKER: You cannot be searched because you get into plane without their knowledge.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: They say that if you want to do anything mischievous, you will do in any way. Your capacity of mischief is established. But I do find many of my colleagues going through great haramment for this and I do not see why. If Members of Parliament are supposed to sufeguard the nation, they must have an established identity, name. There is no question of identity, why there cannot be some special measure either through the presentation of identity card or whatever where the Members of Parliament can be exempted from these security checks because we do travel quite frequently and it becomes very odd. I would also say to the Minister since he is here that anti-hijacking measures need not report to primitive methods. Now, I will give you an illustration of the primitive methods that are being used. We are told that Delhi Airport cannot be photographed.

13.00 hrs.

This is a regulation which is not there in any democratic country of the world. Belidel this Delhi Airport is being photographed by natellite all the time. The tourists come and they want to take photograph of people coming and getting off the plane and climbing on the plane. If you go to America, Japan, Germany, you are allowed to take the photographs. This is something which people like to treawure. But this Government in following something of 1983 or whatever about prohibiting photographs in airport. If he wants to get a photograph of air-port, I can give it to him taken by a satellite and sold commercially all over the world. But Indian citizens cannot take photograph of our own airport and photographs of the pamenger. I think this should be changed. There should be review of the Airport Act that is quite out of date.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा): उपाघ्यक्ष महोदय, मैं, जें। विधेयक लाया गया है, उसका समर्थन करता हं। प्रंश्न पर 10-12 वर्षों तक विचार नहीं किया गया जब कि नागर विमानन संगठन के द्वारा इस प्रश्न पर बहुत पहले यह निर्णय लिया गया था कि अक्सर वायु में परिवहन की व्यवस्था को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में जो कुछ करारनामे हुए हैं उनके अनुसार हमको चलना चाहिए। लेकिन उस निर्णय कैं। लेने के बाद 10-12 वर्ष तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज दुनिया में वायुयान द्वारा याता बहुत लोकप्रिय हो गई है ग्राम ग्रादमी भी इसमें ग्राने-जाने लगे हैं। लेकिन इसके साथ ही विध्वंसात्मक कार्यवाहियां भो काफी माता में बढ़ गई हैं। वायुयानों के ग्रपहरण के मामले भी दिनोंदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर भी भारत सरकार ने पिछले 10-12 वर्षों में इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की ग्रीर ग्रन्तरर्राष्ट्रीय करारों का ग्रनुकरण नहीं किया।

हमने देखा कि पिछले वर्षों में ग्रपने देश में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई। भारत का वायुयान पाकिस्तान ले जाया गया ग्रीर उसे वहां जलाया गया। पता नहीं उसके मुग्रावजे लेने या ग्रन्य तरह से उसकी क्षतिपूर्ति की भी कोई व्यवस्था हो सकी है या नहीं। ग्रगर ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत में हुए इकरारनामों के ग्रनुसार इस पर कोई ठोस कार्यवाही करने पर कुछ विचार किया जाता ता ग्रन्छा होता। न जाने क्यों इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

इस विधेयक में कुछ किमयां रह गई हैं। वायुयान द्वारा धर्म ग्रीर धार्मिक भावना से भी लोग याता करते हैं। हवाई जहाजों के नियमों के ग्रनुसार किसी धर्म

वगैरह के लिए याता करने वालां का प्रश्रय नहीं देना चाहिए । यातियों की सुरक्षा प्रमुख चीज होनी चाहिए। वायुयान से याता बहुत महंगी है ग्रीर ग्रगर याता करने वालों को मुरक्षा की कोई व्यवस्था न हो तो विकट वात हो जाती है ग्रीर खतरे का वातावरण वन जाता है। इस से यातियों का वायुयान से याता करने के सम्बन्ध में निरुत्साहित होना पड़ता है। धार्मिक भावना से याता इस तरह से नहीं होनी चाहिए जिस तरह से खालिस्तान के समर्थकों ने की ग्रीर ग्रपनी मांग के लिए भय ग्रौर ग्रातंक का वातावरण उत्पन्न किया या किसी तरह को अपनी अन्य कार्य-वाहियों के द्वारा वाय्यान को अपहरण करना चाहा। ऐंसे मामलों में सभी के साय समान व्यवहार होना चाहिए। एमा न हो कि ऐसे कार्य के लिए किसी की पुरस्कार दिया जाए जैसा कि उत्तर प्रदेश के श्री भोलानाथ पांडे ग्रौर देवेन्द्र पांडे को दिया गया । इस तरह के ग्रपराधियों को एम 0 एल 0 ए 0 बना दिया गया । इस से दूसरे लोगों में भी ऐसा काम करने के लिए उत्साह पँदा होता है। ऐसी कार्यवाही तब हुई जब कि युथ कांग्रेस का ग्रान्दोलन चल रहा था। उस समय जिन्होंने ऐसी कार्यवाही की उनको उस समय हीरो वनाया गया । ऐसा किसी ग्रपराधी के लिए नहीं होना चाहिए, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से सम्बन्धित हो, चाहे किसी भी धर्म से सम्बन्धित हो या किसी भो मत-मतान्तर से सम्बन्धित हो। ऐसे श्रपराध करने वाले सभी लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए तभी लोगों में ग्रपहरण को कार्यवाही करने के लिए भय उत्पन्न हो सकता है।

लेकिन, ग्रगर किसी को छूट या राज-नीतिक प्रश्रय दिया गया तो यह भावना Anti Hijacking

[श्री शीतलाल प्रसाद वर्मा]

बढती जायेगी। व्यास जो ने कहा था कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए, मैं खासतीर से इसका विरोध करता हं। ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। अपराध-किंमयों को अगर यह मालम हो जायगा कि पकड़े जाने के बाद गोली मार दी जायेगी तो वे विस्फोटक या विध्वंसकारी पदार्थ रख कर एयरकापट का डमेज कर सकते हैं जिससे सभी के जान-माल की क्षति हो सकती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसे ग्राजीवन कारावास देनी चाहिए, साथ ही साथ जमानत भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह भी राष्ट्रीय ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय जगत के लिए बहुत बड़ा जघन्य ग्रपराध है। ऐसे लोगों को जरा भी प्रश्रय नहीं देना चाहिए। इस विल में उसकी कमी है।

जहां तक सूरक्षा के सम्बन्ध में जांच की वात है, उसमें भेदभाव की नीति होती है। बहुत से विकसित देशों में ग्राध्निक-तम तरीके से जांच करने की व्यवस्था है। लेकिन हिन्द्स्तान में सुरक्षा प्रहरी शरीर को इस तरह से पकड़ते हैं जिससे उनके शरीर में दर्द हो और किसी विशेष व्यक्ति को ऐसे ही छोड़ते हैं । इस तरह का भेद-मुलक व्यवहार नहीं होना चाहिए इसलिए सरकार को ग्राध्निकतम व्यवस्था की ग्रोर ध्यान देना चाहिए। जब तक एयरकापट रहना है कोई उसमें श्रॉयल में पानी मिला देता है तो ऐसी जगह पर कोई भार-साधक प्रहरी को रखा जाना चाहिए। उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ग्रगर एयरकापट में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा । ऐसी ग्रवस्था में ही एयरकापट म्रक्षित रह सकता है।

इसी दृष्टिकोण से सरकार को विचार करना चाहिए। ग्रन्तर्राष्ट्रीय नियमों के ग्रन्सार है। कन्वेन्शन ग्रीर माण्ड्यल कन्वेन्शन के अनुसार 70 देशों ने इसे पहले ही अपना लिया लेकिन हम पीछे हैं। इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक या कूटनीतिक भावना हो सकती है। यही कारण है कि बहत से राजनीतिक ग्रीर कान्तिकारी ग्रपराधकर्मियों का हौसला बढ़ा है ग्रौर इसी वजह से चार-पांच बार ऐसा हुआं है। मुरक्षा प्रहरी सभी लोगों की जांच करते है—संसद् सदस्य ग्रीर कुछ ऐसे विशेष लोगों की भी जांच करते 🖁 जैसे ईमानदारी दिखा रहे हैं। लेकिन जिनके पास रिवाल्वर या बम रहता है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाने हैं । केवल हम लोगों को दिखाते हैं कि हम कितने सक्षम हैं और कितनी बहा-दूरी से जांच कर रहे हैं। श्रपराधकिमयों का पता लगाने के लिए कुछ ए से लोगों को विशेष ट्रैनिंग दें जैसा विदेशों में होता है ग्रीर उसी का ग्रनुसरण करना चाहिए। इन गःदों के साथ मैं समाप्त करता हं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (वाड्मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, विमान ग्रपहरण विधेयक 1982 एवम् सिवल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन विधेयक, 1982 जो सदन में प्रस्तृत किए गए 🐩, मैं उसका समर्थन करता हं। यों तो इस कानून का, विरोधी पार्टी के सदस्यों ने ग्रीर इस पार्टी के सदस्यों ने समर्थन किया है। परन्तू जो इस वात पर जोर दिया गया है ग्रीर सरकार पक्ष को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिए कि जब हमने कन्वशन पर 1970-71 में हस्ताक्षर कर दिये फिर इतने विलम्ब से यह कानन क्यां लाया गया ? आरे जब देरी से लाया गया तो इसमें यह भी लिखना चाहिए था कि यह तुरन्त लागू होगा। लेकिन यह भी नहीं बिल में लिखा गया है। जब कि हमने सैलरीज ग्रौर पेंशन बिल को परसों यहां पास किया ग्रौर राज्य सभा ने कल पास किया ग्रौर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी लागू हो जायगा, उसी प्रकार की कार्यवाही इस बिल के बारे में भी करनी चाहिए। नोटिफिकेशन में जारी करने वाली बात मेरी समझ में नहीं ग्राई। इसलिए कानून में स्पष्ट लिखना चाहिए।

Aviation

बिल में व्यवस्था है कि ग्रपहरणकर्ता को लाइफ इमिंग्रजनमेंट होगी। तो जब लाइफ इमिंग्रजनमेंट होगी। तो जब लाइफ इमिंग्रजनमेंट होती है तो मतलव यह होता है कि यह ग्रपराध काग्नीजेविल ग्रीर नान-वैलेबिल होगा। यह प्रौवीजन इस विल में होना चाहिए, जो कि ग्रभी नहीं है। ग्राई० पी० सी० ग्रीर किमिनल प्रोसीजर कोड के यह प्रोवीजन इसमें लागू होंगे कि नहीं इसकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। मंत्री जी को इस बारे में संशोधन करना चाहिए। ग्रन्थथा लाइफ इमिंग्रजनमेंट होने के बाद भी यह प्रगन ग्रायेगा कि यह ग्राफेंस नान-वैलेविल ग्रीर काग्नीजेविल है कि नहीं। यह बात इसमें सपट नहीं की गई है।

तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो हमारा विमान ग्रपहरण करके लाहौर ले जाया गया था ग्रौर वाद में हमको लौटा दिया गया, लेकिन उस ग्रपहरणकर्ता को ग्रभी तक हमें नहीं लौटाया गया है। यह चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच क्या करस्पींडेंस हुई है, क्यों नहीं उस ग्रपहरणकर्त्ता को लौटाया गया यह भी हमें बताया जाना चाहिए। क्या इसलिए नहीं लौटाया है कि हमारे यहां कोई कानन नहीं था जिसके ग्रधीन ऐक्शन ले सकते ? लेकिन इस कानून के बाद एक्शन ले सकते हैं तो इस

सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए प्रौर अपहरणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही होनो चाहिए। जो उसका लक्ष्य था ख। लिस्तान का श्रौर पंजाब की भी जो स्थिति है तो अपहरणकर्ता से पूछताछ कर के जान-कारी की जा सकती है कि उसके पीछे कौन सी शक्तियां थीं या हैं जिन्होंने उसको यह काम करने के लिए प्रौरित किया। इसलिए आवश्यक है कि उस अपहरणकर्ता को हम अपने देश में वापस लायें ताकि पूरी जांच कर सकें श्रौर क्या कांस्प्रेसी है उसका पत। हमें चल सके।

वह ग्रपहरणकर्ता कृपाण ले कर चला गया उसके लिए कौन कर्मचारी दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही करनी चाहिए। ग्रीरहमारी सरकार कृपाण ले जाने को परमीणन दे यह भी स्थिति हम ठीक नहीं समझते हैं। क्योंकि ग्रगर कृपाण रिलाजम प्वाइन्ट से है तो दूसरे रिलीजन वाले भी कह सकते हैं कि हम यह हथियार उपयोग करते हैं, हमें भी एलाऊ करना चाहिए। इस वारे में सरकार को सोचना चाहिए।

किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर कोई भो किसी किस्म का हथियार अपने पास रखता है, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो या किसी भी कारण से हो और उसको प्रयोग करने की उसकी इच्छा नहीं है तो भी कभी भी उसकी प्रवृत्ति हिंसा की हो सकती है और वह उस हथियार को प्रयोग में ला सकता है। इसके लिए हमें आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए।

तलाशी की जो बात कही गई है, मेरा कहना है कि सब का समान चैंक किया जाना चाहिए, चाहे एम॰ पी॰ हो या मंत्री हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि एम॰ पी॰ जुर्म

Anti Hijacking Unlawful Acts against Aviation

नहीं कर सकते हैं। यह ग्रावश्यक नहीं है कि जर्म करने वाला साधारण व्यक्ति या इंडस्ट्यिलस्ट ही हो सकता है जो कि कस्टम के ग्राफिन्स कर सकता है। कोई भा व्यक्ति ग्रौफेन्स कमिट कर सकता है, इसलिए तलाशी के लिए गाइड लाइन्स होनी चाहिए। ग्रीर सब के लिए वरावर की गाइड लाइन्स जारी कर के सब की तलाशी की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो कानुन प्रस्तृत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हं।

MR. DEPUTY SPEAKER: We are winding up the discussion. Shri A. K. Rov..

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Sir, I seldom travel by air, I know only a little about these affairs like hijacking. Whatever we may say people in India do not fly. VIPs fly. And may be the enemies of the people by. But the common people walk on the ground, So, I do not think that this Bill has got that much impor-

MR DEPUTY SPEAKER: VIPs are not enemies of the people, I think!

SHRI A. K. ROY: We are decade behind giving a legal shape to a convention which was passed and adopted in early 70s. We are not only technologically behind. Even in legal matters, we are falling behind.

I do not want to comment on all these thing because this has already been done.

I only want to point out one thing. Hijacking is not an ordinary offence. Hijacking is a political offence. So the queltion that arises is whether by increasing the quantum of punishment, can we contain any political offence? I think we cannot Because those people who take to such desperate course, to whatever party or ideology they may belong, do not care for the consequences. So, if we think or if we live in our own paradise, and make

the punishment deterrent to deter such an offence, then, we would only be deceiving ourselves.

You have to create some locial sanction, some political sanction and some consciousness against this crime. It is not a legal affair.

Those who are considered criminals today, they may be regarded as liberators tomorrow, Values change with the time.

We have, therefore, to lay emphasis on political anction and ocial anction against this crime.

You have observed that this Bill is more or less non-controversial. Even then, each and every Member may doubt its effectiveness and put some questions or some jarring note in their speeches as usual. Why? Because people doubt the blasic honesty of this Government. There is a wide gap between precept and princtice.

We referred to the hijacking from Lucknow to Varanasi or something like that. I know that because that was also debated in this House. A special debate was held only to discuss the hijacking, Sir. you would be surprised to know the stand the Congress Party took at that time. That was why I became interested in participating in such a debate.

Windom hould not drawn on the people simply because one changes sides. Sir, Shri R. Venkataraman in now Defence Minister. He is one of the senior Ministers and a very softspoken man. He spoke very plainly. What did he ay in that debate? He maid:

"Sir I will take only two minutes about hijacking. This hijacking when it was originally mentioned in the papers really created a great deal of anger in the country. All of un felt, but ultimately, when it turned out to be nothing more than a toy pistol and cricket ball, Sir, it has become a joke of the year. "AN HON MEMBER: It turned out to be un apple.

Aviation

THRI R. VENKATARAMAN: What is mure, these people do not seem to have even threatend or done anything of that kind. They seemed to have surrendered themselves. Sir, if it had happened on the 1st of April, all of us would have said that it is an April Fool joke."

Just after two years, it was said that what was done by Khalistan people was wrong. They showed a toy pistol or quava and it became a joke later. I want to emphasise one thing. Of course I have not to grind. One should take a very consistent line. If something had been done oneshould be very serious about it whether he he in the Opposition or in the Government. You forget one thing. Whatever you may here, that becomes a part of the record. Anybody can quote that and refer to that. Parliamentary Proceedings are very precious. To day you are in the Opposition. Tomorrow you may become a Minister. While in Opposition you say something and that can be quoted when you become a Minister.

I would now like to say this. In answer to a question, the Minister has said that after 1980 and 1982, four cases of hijacking touk place. In three cases, hijacker boarded the aircraft at Delhi and only in one case he boarded at Udaipur. That means in Delhi, the capital of India. lecurity arrangement leems to be lacking. We want to say how that could take place. You have said in answer to a question as follows:

"Toward" this end sophisticated electronic detection equipment, viz., Hand held metal detectors, door frame metal detectors and X-Ray Hand Baggage Scanners, are progressively being installed."

I would like to know how progremively there are being installed. You have been taking several steps. You again say that these are political offences. These cannot be controlled only by deterrent punishment. That is my conviction. You have to create an atmosphere and have to deal with it politically. With these few words. I conclude.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the Minister can reply.

नागर विमानन तथा नागरिक प्रति मंत्रालयों में राष्य मंत्री (श्री भागवत **झा ग्राजाद)** 🖟 उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों विधेयकों पर जिन माननीय सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रकट किये हैं, उसमें व एक बात पर एकमत हैं कि उन्होंने इन दोनों ही विधेयकों का समर्थन किया है, । श्री मधीर गिरि, जिन्होंने इस वहस को प्रारम्भ किया, बहुत सुन्दर ग्रौर कम णब्दों में इसका पष्ठभमि ग्राप के सामने रखी। क्या नियम है, उसको रखा, क्या प्रावधान हैं, उनको वताया ग्रांर साथ-साथ ग्रीर ग्रधिक क्या करना चाहिये, उसको भी कहा। इसके साथ ही कहीं-कहीं उन्होंने राजनैतिक छीटाकणी भी की, जो कि करनी चाहिये थी ग्रीर ग्रावश्यक भी उनके लिए ताकि वै ऐसा करते । लेकिन मैं इस बात के लिये उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हं कि उनके साथ सर्वश्री गिरधारी लाल व्यास, हरीश कुमार गंगवार, जयपाल सिंह कथ्यप, डा० स्वामी, रामावतार शास्त्री, राम विलास पासवान तथा ग्रंत में श्री ए० के० राय सभी ने इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया।

लेकिन साथ-साथ तीन प्रकार की समालोचनाएं सामने श्राई। एक तो यह कि इस कानून को तुरन्त लागू किया [श्री भागवत झा ग्राजाद]

जाये । दूसरे, जो पांच ग्रपहरणकर्ता ग्रंभी भी पाकिस्तान में हैं, उनको लाने का प्रयास किया जाये । तीसरे सुरक्षा के प्रववध को ग्रीर मजबूत ग्रीर ग्राधुनिक वनया जाये । ग्रधिकांश मेम्बरों ने राय प्रकट की कि सुरक्षा की जांच के सम्बन्ध में सुधार किया जाये ।

इसके अलावा जो दूसरे प्रकार की समालोचना थी, वह देश के अन्तर्गत चलने वाली वायुयान सेवाओं, उनमें देरी, भोजन और भारतीय भाषाओं के अवगार देने के सम्बन्ध में थी।

तीसरे प्रकार की समालोचना थी राजनैंतिक। मैं तीसरे प्रकार की समालोचना के सम्बन्ध में पहले कह दूं कि मैं माननीय सदस्यों की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि अपहरणकर्ता चाहे किसी भी पार्टी या राजनैंतिक दल का हो, चाहे वह किसी विचार को बड़ा उदात बना कर कहता हो कि मैं इतने बड़े काज के लिये यह काम कर रहा हूं, उसकी कार्यवाही चाहे किसी सिद्धांत के लिये और किसी भी अवसर पर हो, वह बिल्कुल गलत है, वह समाज का सबसे निकृष्ट प्राणी है प्रौर इस लिये उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिये।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि इस कानून को तुरन्त लागू किया जाये, जोकि शास्त्री जी ने कहा, यह बिल्कुल सही है। हम इस कानून को तुरन्त लागू करना चाहते. हैं, क्योंकि 19 नवम्बर, 82 से एशियाड प्रारम्भ हो रहा है स्रौर इसके वाद गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों का सम्मैलन हो रहा है स्रौर उनके लिये इस कानून को लाना जरूरी है स्रौर जाये। दूसरे, जो पांच श्रपहरणकर्ता कानून को राष्ट्रपति की श्रसेंट मिल जायेजी हम इसको तुरन्त लागू करेंगे। इस लिये वह तुरन्त लागू हो जायेगा। इस वजह से इस बिल में "एट वन्स" नहीं लिखा गया है।

लेकिन इस सम्बन्ध में एक कठिनाई है। हमने जो दो कनवेंशन माने हैं, उनके अनुसार संसार के तीन राष्ट्रों को नोटिफाई करना है। उसमें दो, चार, पांच दिन का वक्त लग जायेगा। हम इस कानून की तुरन्त लागू कर देंगे। इस लिये इसका उल्लेख इस बिल में नहीं कर पाये हैं।

हमने मुरक्षा प्रबन्ध के प्रश्न को बहुत गम्भोरतापूर्वक लेना है। जिन राष्ट्रों में वाययान की सेवाएं प्रधिक हैं— उदाहरणार्थ प्रमरीका में—, वहां हाई-जैंकिंग भी ग्रधिक है। उसकी तुलना में हमारे देश में पिछले वर्षों में चार हाई जैंकिंग हुये हैं। मगर हम समझते हैं कि ग्रगर एक भी हाई जैंकिंग हुग्रा है, तो वह गलत हुग्रा है। इसलिये सुरक्षा प्रबन्ध पर हम ग्रधिक से ग्रधिक जोर दे रहे हैं।

यह कहना सही नहीं होगा कि हम पुराने तरीकों से जांच कर रहे हैं। जांच करने के जो लेटेस्ट, ग्राधुनिकतम, तरीके हैं, वे हमने लाग कर दिये हैं। उनमें से एक तो हैंड मेटल डिटेक्टर है श्रीर दूसरा डोर फ़्रेम है। तीसरा उपकरण वह है, जो श्रभी तक नहीं ग्राया था, जिसको हम श्रव लाये हैं श्रीर श्रागे श्रधिक , तेजी से लायेंगे। जो व्यक्ति जा रहे हैं उनभी भांच तो हम हैंड मेटल डिटेक्टर श्रीर डोर फ़्रेम डिटेक्टर से कर देते हैं,

3/2

लेकिन उनके वैगेज की जांच हम ग्रभी तक प्रापरली नहीं कर पाते थे। उसके लिये हमने एक्सरे गैजेट बम्बई ग्रीर दिल्ली में लगाय हैं । सब से वड़ी परेशानी इसके मिलने की थी; वह बाहर मिलता है । वह ग्रपने ही देश में बन जाये—ई० सी० ग्राई० एल > बना दे या वैस्ट बंगाल गवनं मेंट की का-पॉरिशन बना दे-ग्रीर वह जल्दी मिल जाये इस उधेड -बन में थोड़ी देर हो गई है। ग्रव हम इस बात के लिये कृत-संकल्प 🖁 कि खासकर हमारे बहुत सेंसि-टिव एरियाज में जो एयरपोर्टस हैं, वहां इस उपकरण को हम जल्द से जल्द लगा-यंगे-दिल्ली में लगाया है, एशियाड वि-लेज में लगाया है, बम्बई में लगाया है ग्रीर ग्रमृतसर ग्रीर श्रीनगर में बहुत जल्दी लगायेंगै।

सुरक्षा जांच के जो तीन प्रमुख ग्राधु-निकतम तरोके हैं उनको हम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें ग्रधिक ग्रावश्यक यह है कि जो लोग ईन तरीकों को युज करने वाले हैं, जो इनका प्रयोग करने वाले प्राफिसर्स हैं उनको ग्रच्छी ट्रेनिंग दी जाये। इन ग्राफिसर्स को हम विभिन्न राज्यों से लेते हैं, उधार, लीयन पर लेते हैं। हम चाहते हैं क दुर्भाग्य से यदि किसी राज्य में ऐसी घटना हो जाती है तो उस राज्य का हमें पूरा सहयोग मिले । हम अपना एक सलग काडर 5-6 हजार ब्रादिमयों का बनायें, वह बात भी ब्राती है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जितन भी एयरपोर्ट हैं वहा राज्य प्रशासन से हमारा ग्रधिक से ग्रधिक सहयोग ग्रौर सम्बन्ध रहे । इसीलिये हम राज्यों से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें लीयन पर ग्रधिकारी दें ग्रौर ग्रधिक समय के लिये दें, ऐसा न हो कि 6-8 महीने के बाद उनको वापिस बुना लें। हम यह भी चाहते हैं कि हमको ग्रच्छे ग्रधिकारी दें।

Bill

जांच के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि संसद सदस्यों में भेदभाव किया जाता है। मैं कहना चाहंगा कि यह इसलिये नहीं है कि जांच की ही जाय, सच बात तो यह है कि हम, हमारा मंत्रालय, एयर-इंडिया ग्रौर इंडियन एयर लाइन्ज यह बिल्कुल नहीं मानते हैं कि हमारे संसद सदस्य हाई जैंकिंग करेंगे प्रश्न इस बात का है कि जब वर्षों में एक बार कोई एक व्यक्ति ऐसा करलेता है तो उसको रोकने के लिये इतनी अधिक-सावधानी करनी पड़ती है ग्रीर इतने ग्रधिक व्यक्तियों की जांच की जाती है। जहां व्यक्ति की सुबद्धि ने प्रगति की है, उसकी कबद्धि न उससे प्रधिक प्रगति कर ली है। ग्राज एक व्यक्ति ग्रपने पास चार-चार फोर्ज्ड पासपोर्टस रखता है। वह एक माननीय सदस्य के फोर्ज्ड-ग्राइ-डेंटिटी कार्ड से निकल भी सकता है। यदि इस प्रकार से कभी एक व्यक्ति भी निकल जाता है तो हमारे सारे प्रयत्न व्यर्थ हो जायेंगे। प्रश्न यह है कि उन हजारों त्यक्तियों में कोई एक कुबुद्धिवाला व्यक्ति भी हो सकता है ग्रीर उनके नाम से निकल सकता है । इसलिये उसको रोका जाये। मेरे पास विधान सभाग्रों के एमं० एल० एजं० के पत्न ग्राये हैं, राज्य सरकारों के मंत्रियों के पत भी ब्राये हैं ब्रीर ब्रमुक्सर में तो एक बड़े अधिकारी ने भी प्राटेस्ट की थी कि जब म्राई० एस० ए०, म्राई० पीठ एस० ग्राफिसर्ज को ग्राप छोड़ते हैं तो मेरे की क्यों नहीं? मैं भी एक वडा म्राफिसर

[श्रो भागवत झा ग्राजाद]

हं। इसलिये प्रश्न यह नहीं है ग्रीर हम कभी एसा नहीं सोचते कि कोई एम ज्यो जहाइजैकिंग करेंगे। परन्तु अप-हरण को रोकने का प्रश्न इतना कठिन है कि दूसरे ब्यक्तियों के साथ-साथ मैं ग्रपने जांच के लिये समार्पित करता हूं। ग्राप इस को इस रूप में देखें कि मैं जो स्वयं मंविषंडल में हं, मझे भी वर्तमान नियमों के अनुसार मुरक्षा जांच के लिये अपने को समर्पित करना पड़ता है। केन्द्रीय मंडिमंडल के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं या जो मुख्य मंत्र, हैं, ऐसे कुछ लोगों को छोड़ कर बाकी सभी ब्यक्तियों पर यह बात लागु है। यह बात दूसरी है कि काई व्यक्ति जांच करन के काम में अपना रोव न दिखाये, वदतमीजी न दिखाये, उस काम की नमतापूर्वक करे, ठीक से करे। इस बात के लिये मुधार की वरावर गंजाइश है ग्रीत हम वरावर प्रयास करते रहेंगे। उनको कहते हैं कि ग्राप इस काम को इस रूप में की जिये। इसलिय मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य इसको इस रूप में देखेंगे तो सन्तुष्ट हो जायेंगे।

इस विल के ग्रितिरिक्त भी कुछ वातें कही गई हैं—जैसे इण्डियन एग्नर लाइंज के लिये कहा गया कि हवाई जहाज लेट चलता है। मैंने प्रथम वात यह कही है, अपने दोस्तों को, —जसे कुछ मित्रों ने ग्रिखवारों में लिख दिया कि भागवत झा ग्राजाद ने कहा है—

I am the most powerful person.

मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने अपने फर्स्ट क्रीफिंग में अपने अफसरों को यह कहा है कि आप निर्मीकतापूर्वक जो आप की इच्छा हो वह लिखो, सामने रखे गष्ट्र को और भगवान को। यदि भगवान को नहीं मानते हैं तो डायलैक्टिकल-मैटीरियलिज्म के ग्रन्तगत जो गरीब ग्रादमी हैं उसकी तस्बीर सामने खो? लेकिन उसके वाद मंत्री जी निर्णय करे तो वह मंत्री का निर्णय नहीं सरकार का निर्णय मान कर उसका प्रतियालन होना चाहिये। उसी ब्रीफिंग में मैंने यह भी कहा कि एग्रर इंडिया भीर इंडियन एग्रर लाइंज के लिये कुछ गौरव हम को भी पहुंचाना चाहें तो सब से पहला मुधार यह करें कि लेट चलना वन्द हो श्रीर दूसरे-भोजन में सुधार कर दें। मैं इन दीनों वातों के लिए जोर लगा रहा हूं। मैंने ग्रपने सचिवालय के सचिव से, जो नये ग्रौर जोरदार न्यक्ति हैं, कहा है कि हम हर एग्ररकापट का हिस्ट्रीशीट रखें । पता लगायें कि कव, किस समय ग्रम्क एग्रर-ऋापट कितना लेट हुआ और क्यों हुआ है। मैंने यह भी कहा है कि यह नार्मली नहीं होना चाहिए --

I am sorry for the delay, I apologise.

यह ग्रादत नहीं बननी चाहिए। कभीकभी देर हो जाती है लेकिन ग्राम
तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए।

मूझ कुछ सदस्यों ने कहा है कि ग्राप न भोजन में सुधार कर दिया है, लेकिन कुछ ते व्यंग भी किया है कि पटना वाले में सुधार हुग्रा है। मैंने कहा है कि वस्वई वाले में भी कर दूंगा, ग्रमाम वाले में भी कर दूंगा, कलकत्ता वाले में भी कर दूंगा। ग्राप का कहना ठीक है।

तीशरी वात—इन वायुयानों में भारतीय भाषाग्रों के पत्र होने चाहिए —इस बात से मैं पूर्णत: सहमत हूं। जो हवाई जहाज जिस जगह से उड़ता है, उस में अंग्रेजी श्रखबार तो होते ही हैं, लेकिन उस में भारतीय भाषाग्रों के पत्र भी हों, यह ग्रादेश—मैंने

Anti Hijacking Unlawful Acts against Aviation

राज्य सभा में भी कहा है--मैं तूरन्त प्रसारित करा दुंगा । यह प्रावश्यक है कि ग्रगर मद्रास से हवाई जहाज चलता है तो तिमल के प्रमख पत्र भी उस में हों, भ्रगर वह नागपूर से हो कर गुजराता है तो उस में महाराष्ट्र के भी प्रमख मराठी पत्र हों । अगर वह पटना जाता है ता हिन्दी के प्रमुख पत्र हों। कलकत्ता से उड़े तो उसमें ग्रंग्रेजी के अलावा बंगाली तथा हिन्दी के पत्र भी होने चाहिए। यह इन्तजाम में फीटन करा दंगा?

मानतीय सदस्यं न जिन वातों का उल्लेख किया, उन के लिए मैं उसका कृतज हं, लेकिन हुना कर इस में कोई श्रौर बात मन पठियगा । इस बिल से म्रलग जो बात बही गई है उन पर भी हम विचार करेंगे और जो उचित होंगी उन को मान लेंगे। जहा तक राजनीति वाली बात कही गई थी, वह आप का मुवारक हो। जहां तक दर की बात है कि इतनी देर क्यों हई--में उस का कोई जवाब दं तो ग्राप सहमत नहीं होंगे, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं देता हं ग्रीर ग्राप से क्षमा चाहता हं। कहते हैं--देर ग्रायद दुरुस्त-गाद--इसी दुष्टि से ग्राप सन्तोष मान लें। इन जब्दों के साथ मैं ग्राजा करता है कि ग्राप इस का पूर्ण समर्थन

MR. DEPUTY-SPEAKER: The queltion in:

" That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and for matters connected therewith, as paused by Rajya Sabha, be taken into comideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

"That clauses 2 to 11 stand part of the Bill".

Bill & Supp. of

Safety of Civil

The motion was adopted.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill Clause 1-Short Title, extent, application and Commencement.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna); I hee to move:

for lines 14 and 15, substitute-

(3) It shall come into force at once." (1)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put the Amendment moved by Shri Ramawtar Shastri to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived. MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

'That Clause 1 stand part of the Bill." Themotion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Emacting Formula, the Preamble and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री भागवत झा श्राजाद । महोदय, प्रस्ताव करता हं:

> "कि विधेयक को पारित किया जाए।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: The tion is:

> "That the Bill be passed." The motion was adopted.

388

Anti Hijacking
Unlawful Acts against
Aviation

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put to vote consideration motion in respect of Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Bill.

"That the Bill to give effect to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation and for matter connected therewith; as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The quention in:

"That Clause 2 to 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill.

Clause 1—Short Title, extent, application and Commencement

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is an Amendment of Shri Ramavtar Shastri in Clause 1 of the Bill. Are you moving?

SHRI RAMAVTAR SHASTRI (Patna); Yes, Sir.

I beg to move:

"Page 1,

for lines 16 and 17, substitute-

'(3) It shall come into force at once."

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall now put Shri Shastri's amendment to the vote of the House.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question in:

Bill

"That Clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question in:

"The Enacting formula, the Preamble and the title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री भागवत झा ग्राजाव : महोतव, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "iक विधयक का पारित किया जाए"।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question in:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

13.43 brs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fortyfive Minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fifty minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]